भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 1007

उत्‍तर देने की तारीख : 09 मार्च, 2017

**विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति**

**1007. श्री नज़ीर अहमद लवायः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार कला, कृषि, विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों को कोई छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. महेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय)**

(क) से (ग) : विदेशी विश्‍वविद्यालयों में कला,कृषि, विधि, औषधि, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्‍चतर शिक्षा प्राप्‍त करने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी छात्रवृतियां निम्‍मनानुसार हैं:

1. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्‍ट्रीय विदेशी छात्रवृति : यह योजना जनजा‍तीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्‍वित की जा रही है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में विदेशी विश्‍वविद्यालयों में स्‍नातकोत्‍तर स्‍तर के पाठ्यक्रमों, पी.एचडी और पोस्‍ट-डॉक्‍ट्रल अनुसंधान कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभ्‍यार्थी/माता-पिता की पारिवारिक आय सीमा 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष है।

2. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्‍ट्रीय विदेशी छात्रवृति: यह योजना सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्‍वित की जा रही है। इस योजना के तहत विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि के क्षेत्र में विदेशी विश्‍वविद्यालयों में स्‍नातकोत्‍तर स्‍तर के पाठ्यक्रमों और पीएच.डी करने के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभ्‍यार्थी/माता-पिता की पारिवारिक आय सीमा 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष है। उपलब्‍ध अवार्ड की संख्‍या 100 प्रतिवर्ष है।

3. अन्‍य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्‍ययन के लिए डॉ. अम्‍बेडकर शिक्षा ऋण ब्‍याज सहायिकी योजना: यह योजना सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्‍वित की जा रही है। योजना का उद्देश्‍य कला, इंजीनियरिंग,औषधि और कृषि के क्षेत्र में ओबीसी और ईबीसी के मेधावी छात्रों को विदेशी विश्‍वविद्यालयों में उच्‍चतर शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु ब्‍याज सहायिकी प्रदान करना है। ओबीसी के लिए आय की सीमा 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष और ईबीसी के लिए 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष है। परिव्‍यय का 50 प्रतिशत छात्राओं को दिया जाता है।

4. पढ़ो परदेश:- योजना का कार्यान्‍वयन अल्पसंख्‍यक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यक विद्यार्थियों को कला, इंजीनियरिंग, कृषि और औषधि के क्षेत्र में विदेशी विश्‍वविद्यालयों में स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रमों, एम.फिल और पी.एचडी करने के लिए ब्‍याज सहायिकी प्रदान की जाती है। अभ्यार्थी/माता-पिता की पारिवारिक आय सीमा 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष है।

5. विदेशी डॉक्‍टरल छात्रवृत्ति योजना:- योजना का कार्यान्‍वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक सांविधिक निकाय, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्‍य ऐसे स्‍थानों पर राष्‍ट्रीय क्षमता का निर्माण करना है जहां देश हित के क्षेत्रों में अनुसंधानकर्ताओं की प्रतिभा आपूर्ति को कम महत्‍व दिया जाता है। चयनित अभ्‍यर्थियों को शीर्ष रैंक वाले विश्‍वविद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी,इंजीनियरिंग और औषधि में डॉक्‍टरल अनुसंधान कार्यक्रम के लिए 4 वर्षों की अवधि के लिए 24,000 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं।

\*\*\*\*\*\*